न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 145/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00178

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी		1. समनपुरी पुत्र अनापुरी जाति गुसाई 2. गवरी बाई पत्नी अनापुरी जाति गुसाई निवासी सिवासी तहसील रानी जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी संख्या 2

–:: आदेश ::–

दिनांक : 24/05/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थी मूलाराम के नाम ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 745 रकबा 0.91 है. किस्म बा.दो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस त लब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 745 रकबा 0.91 है. किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जिसका आवंटन किस्म परिवर्तन गै.मु. नाला से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 09.08.1972 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नाला दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने मौखिक निवेदन किया कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी की भूमि उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र सहारा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें एवं अप्रार्थी के खातेदारी के निरस्तीकरण हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स की कार्यवाही निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार की बहस एवं अप्रार्थी के कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खसरा नम्बर 745 रकबा 0.91 है. किस्म बा.दो. की भूमि अप्रार्थीगण की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 217 की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी, जिसका आवंटन अनापुरी पुत्र चन्दनपुरी को आदेश क्रमांक 1359 दिनांक 16.05.1971 के द्वारा किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 09.08.1972 सरपंच ग्राम पंचायत सिवास द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अनापुरी पुत्र चन्दनपुरी को गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा कालान्तर में उसे खातेदार दर्ज किया गया, जो वर्तमान में अनापुरी के पुत्र एवं पत्नी के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के साबित खसरा नम्बरान् के अनुसार उक्त भूमि की किस्म नाला थी। जिसे कालान्तर में किस्म परिवर्तित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पति को आवंटन किया गया है। चूंकि उक्त भूमि कि किस्म नाला थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पति अनापुरी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारिज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन ओदश की पालना में सरपंच ग्राम पंचायत सिवास द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 09.08.1972 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता/पति अनापुरी पुत्र चन्दनपुरी निवासी सिवास तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन आदेश क्रमांक 1359 दिनांक 16.05.1971 एवं उसकी पालना में सरपंच ग्राम पंचायत सिवास द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 09.08.1972 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को निरस्त फरमावें।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली